दिनांक 10.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 313/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 10.06.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आजमगढ़ इकाई** द्वारा चन्द्रशेखर शर्मा निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से विद्यालय की स्थाई मान्यता दिलवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री आनन्द कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिषर के अधिष्ठान कक्ष से **कनिष्ठ सहायक आकाश यादव (कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़)** पुत्र स्व0 संजय यादव निवासी ग्राम गोडई पट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 10.06.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 314/2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मथुरा/थाना बलदेव

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 09.06.2026 की रात्रि थाना बलदेव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दौलतपुर अण्डर पास पर बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त हम्बीर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बलदेव पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मथुरा, हाथरस के विभिन्न थानों लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बलदेव पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हम्बीर निवासी नगला उदय सिंह थाना बलदेव जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बहराइच/थाना रानीपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि**
- **10 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 10.06.2026 को थाना रानीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त रवी उर्फ नौरंगी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 10 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.05.2026 को थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रानीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवी उर्फ नौरंगी निवासी गोबरहा थाना रानीपुर जनपद बहराइच।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

2–10 हजार रूपये नगद।

जनपद देवरिया/थाना तरकुलवा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 09/10.06.2026 की रात्रि थाना तरकुलवा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–विमल कुमार

2–भोला 3–कृष्णा नन्द 4–आकाश को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विमल कुमार निवासी चिर्रीपुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।

2–भोला निवासी चिर्रीपुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।

3–कृष्णा नन्द निवासी सिरवनिया थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

4–आकाश निवासी सिरवनिया थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–चोरी की 05 मोटर साइकिल।

जनपद देवरिया/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद**

दिनांक 10.06.2026 को थाना कोतवाली व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माल गोदाम के पास से 03 अभियुक्तों 1–संदीप उर्फ बुलबुल 2–अंकित 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ बुलबुल के विरूद्ध जनपद देवरिया के थाना कोतवाली पर चोरी आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग व अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद देवरिया के थाना कोतवाली पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप उर्फ बुलबुल निवासी राघवनगर थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

2–अंकित निवासी राघवनगर थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण।

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेडी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध स्मैक**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 10.06.2026 को थाना गागलहेडी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पशु पैठ मैदान गागलहेडी से अभियुक्त तालिब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध स्मैक, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तालिब निवासी ग्राम शेरपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 600 ग्राम अवैध स्मैक।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना अटरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 39–39 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना अटरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/307/147/148 भादवि व 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जलील 2–रफात अली उर्फ रफ्फू 3–नसीर 4–प्यारेलाल को आजीवन कारावास व 39–39 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना बढ़पुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बढ़पुरा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सुनील कुमार को धारा 302/392/201/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–मोनू उर्फ मोहनलाल व 3–किशन को धारा 302/392/201/411 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व 23–23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>कमिश्नरेट आगरा/थाना शाहगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 54 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय आगरा द्वारा थाना शाहगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/307/149/323/504/506/427 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ बेग को सश्रम आजीवन कारावास व 54 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फहीम उर्फ बाबू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 10.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 315/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ भेंटवार्ता

आज दिनांक 10.06.2026 को पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में भारतीय पुलिस सेवा के **77वें आर.आर. (2023-24 बैच) के यूपी कैंडर के** 29 सप्ताह के व्यावहारिक प्रशिक्षण पर आए **23 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु अधिकारियों** ने **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** से शिष्टाचार भेंट की।

भेंटवार्ता के दौरान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों से क्रमवार परिचय प्राप्त किया तथा जनपदों में आयोजित उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण के अनुभवों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने-अपने प्रशिक्षण काल के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था प्रबंधन, साइबर अपराधों की विवेचना एवं रोकथाम, फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) सहित नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन, यातायात प्रबंधन, वीवीआईपी भ्रमणों के प्रबंधन, ई-साक्ष्य के उपयोग, न्यू एज टेक पुलिसिंग तथा अन्य पुलिसिंग संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर प्राप्त अनुभवों को साझा किया।

प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न जनपदों में उन्हें व्यावहारिक एवं बहुआयामी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिससे पुलिसिंग के विविध आयामों को समझने और वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता विकसित हुई। फील्ड में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण व्यवस्था की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अनुभव ने उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाया है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के जिज्ञासा भरे प्रश्नो को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने दीर्घ प्रशासनिक एवं पुलिसिंग अनुभव के आधार पर व्यावहारिक और मार्गदर्शी उत्तर दिया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के सम्बोधन के प्रमुख बिन्दुः-

- व्यवहारिक प्रशिक्षण भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के लिए अत्यंत विशिष्ट होता है क्योंकि अधिकारी की पुलिस के बारे में जो धारणा सेवा में आने के पहले होती है, उसमें बहुत परिवर्तन आता है। वो अनुभव करते हैं कि पुलिस किन कठिन और पेचीदा परिस्थितियों में कार्य करती है। पुलिस समाज के लिए क्यों अपरिहार्य है, इसकी समझ विकसित होती है।
- पुलिसिंग में व्यवहारिक मूल्य तो महत्वपूर्ण होते ही हैं किंतु पुलिसिंग का आधार व्यवसायिक दक्षता, कौशल और ज्ञान है। ये सभी पक्ष साथ-साथ चलते हैं।

- पूर्व में अन्य क्षेत्रों में सेवारत रही प्रशिक्षु अधिकारी अपने पूर्व अनुभवों से अपने कार्य को और भी अधिक गुणवत्ता प्रदान कर सकते हैं।
- न्याय संहिता, ई-साक्ष्य और बढ़ते साइबर अपराधों ने पुलिस के सम्मुख नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं और इनके लिए पुलिस अधिकारी में व्यवसायिक दक्षता, ज्ञान और कौशल की महत्ता कहीं अधिक बढ़ गई है। पुलिस के कार्य में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से उचित और वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं।
- अपने कार्य और आचरण में बहुत सावधानी और गंभीरता रखें क्योंकि आपकी छवि ही भविष्य में आपकी प्रगति निर्धारित करेगी।
- विगत 7-8 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस की जनशक्ति और संसाधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जनशक्ति को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- पुलिसिंग का सार है- जनसुनवाई। ये बहुत संतोष का विषय है कि प्रशिक्षु अधिकारिओं ने अपनी सेवा की शुरुआत में ही इसका महत्व समझ लिया। इस जनसुनवाई को जितनी आधारभूत स्तर के पुलिसबल तक आप ले जा सकेंगे, आप उतना ही बड़ा परिवर्तन पुलिसिंग में देख पाएंगे।
- आगामी अगस्त माह में जब सभी प्रशिक्षु अधिकारी अपना प्रशिक्षण पूर्ण करके सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनाती पाएंगे, तो न्याय संहिता का अनुपालन, ई-साक्ष्य का प्रयोग, साइबर क्राइम और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां आपके सम्मुख अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होंगी।
- अंत में कहा कि आप सभी यह धारणा अपने में स्थापित कर लें कि आप एक नौकरी में नहीं, एक सेवा में हैं।

कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ. श्री के. एस. इमैन्युअल, पुलिस उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण श्री देव रंजन वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।